

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

// संशोधित आदेश //


क्रमांक / 2863-2 / न्या.लि. / कोरोना / 2020

रायगढ़ दिनांक 19/03/2020

कोरोना (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, यह बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही अन्य स्वस्थ व्यक्ति को फैलने की संभावना है। रायगढ़ जिला खनन तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ ही साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना (Covid-19) से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क से दूर रहने तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित हैं उनसे अन्य व्यक्तियों पर इस रोग के संक्रमण को रोकने के लिए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2857/न्या.लि./2020, दिनांक 19-03-2020 के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू किया गया है, ताकि व्यक्तियों का आपस में संपर्क न हो सके, और इसी उद्देश्य से केन्द्र शासन द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में लॉकडाउन लागू किये जाने की संभावना है।

प्रायः देखा जा रहा है कि जनता द्वारा सोशल डिस्टेंस की गाईड लाईन एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जिले में संक्रमित लोगो की संख्या दिनो-दिन बढ़ना संभावित है। अतएव उचित होगा कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उक्त आदेश का पूर्णतः पालन कराया जाये। यदि उक्त आदेश का किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायगढ़ (छ0ग0)

पृ.क्रमांक / 2863-2 ए / न्या.लि. / कोरोना / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 19/03/2020

- 1-सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
- 2-सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
- 3-सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
- 4-आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0)  
— की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 5-पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 7-उप संचालक, अभियोजन जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8-सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ जिला को सूचनार्थ।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायगढ़ (छ0ग0)